संख्या-353/2020/944/22-2-2018-17(236)/2009

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 10 सितम्बर, 2020***

विषय:- जिला कारागार, मुरादाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फिरासत पुत्र स्व0 इब्राहिम, निवासी जनपद-अमरोहा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21770/प्रोबे0-5-दया0(बैठक 15-05-2018) दिनांक 14-06-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मुरादाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फिरासत पुत्र स्व0 इब्राहिम, सलारपुर खालसा, थाना-रजबपुर, जनपद-अमरोहा का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दुश्मनी के कारण दिनांक 16.03.2000 को 12 सहअभियुक्तों के साथ घेरकर अन्धाधुन्ध गोलियां चलाकर 04 व्यक्तियों की हत्या कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-156/2000 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला जज/विशेष सत्र न्यायाधीश, जे0पी0 नगर के आदेश दिनांक 14.12.2005 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.11.2006 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 15.02.2018 तक 14 वर्ष 03 माह 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 06 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बंदी के कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी फिरासत (बन्दी संख्या-4233/2005) पुत्र स्व0 इब्राहिम, निवासी जनपद-अमरोहा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-353/2020/944(1)/22-2-2018 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in